न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस

नम्बर मुकदमा :– 18/19

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू, राजस्थान

.....वादी

बनाम

1. गोमदराम पुत्र रामुराम जाति महा–ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईयांरा तहसील बीदासर जिला चुरू
2. तुलछी पुत्री रामुराम जाति महा–ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईयांरा तहसील बीदासर जिला चुरू
3. भंवरलाल पुत्र सुरजाराम जाति महा–ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईयांरा तहसील बीदासर जिला चुरू
4. मुकेश पुत्र रामुराम जाति महा–ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईयांरा तहसील बीदासर जिला चुरू
5. मोहनी पत्नी लालुराम जाति महा–ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईयांरा तहसील बीदासर जिला चुरू
6. रूकमणी पत्नी रामुराम जाति महा–ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईयांरा तहसील बीदासर जिला चुरू
7. रूपाराम पुत्र सुरजाराम जाति महा–ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईयांरा तहसील बीदासर जिला चुरू
8. श्रवण राम पुत्र सुरजाराम जाति महा–ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईयांरा तहसील बीदासर जिला चुरू
9. सुनीता पत्नी रामुराम जाति महा–ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईयांरा तहसील बीदासर जिला चुरू
10. सुरजी पुत्री सुरजाराम जाति महा–ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईयांरा तहसील बीदासर जिला चुरू
11. सुरेन्द्र पुत्र रामुराम जाति महा–ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईयांरा तहसील बीदासर जिला चुरू
12. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बीदासर हाल एस.बी.आई शाखा बीदासर

.....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 18-3-2025

प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर की ओर से एक वाद–पत्र इस आशय का पेश किया है कि खसरा संख्या 440 तादादी 2.2131 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 441 तादादी 1.8970 हैक्टेअर किश्म बारानी सोयम राजस्व ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रतिवादीगण 01 ता 12 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिसकी नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी सलंग्न है। हल्का पटवारी ईयारा की जांच में पाया गया कि उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 440 तादादी 2.2131 हेक्टेयर में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी एवं उत्तरी–पश्चिमी कोने की तरफ एवं खसरा संख्या 441 तादादी 1.8970 हैक्टेअर संपूर्ण पर कानून व विधि के विरूद्ध आवासीय प्लॉट काटकर मकानात बनाकर आवासीय उपयोग किया जा रहा है। भूमि वर्तमान में कृषि के बजाय अकृषि उपयोग में ली जा रही है। राज्य सरकार की ओर से खातेदार को कृषि भूमि में केवल कृषि करने के ही अधिकार प्रदत है जबकि वादगत भूमि का वर्तमान में कृषि उपयोग न होकर अकृषि उपयोग हो रहा है। वादगत भूमि राजस्व रेकार्ड के अनुसार कृषि भूमि है जबकि वर्तमान में वादगत भूमि का आवासीय उपयोग लिया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के स्वरूप परिवर्तन किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा राज्य सरकार की ओर से दिये अधिकारो के विपरित कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया गया है। यह भी संभव है कि प्रतिवादीगण के इस कृत्य की देखा–देखी से अन्य लोगो के द्वारा भी कृषि भूमि का बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन किया जा सकता है जिससे भविष्य में कृषि भूमि में पैदावार होना ही असंभव हो सकता है जिसके फलस्वरूप भूमि का कृषि संबधि उदेश्य ही नही रहेगा। प्रस्तुत वाद पत्र की सूनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त है। वाद पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत है। वाद का कारण कृषि भूमि का आवासीय उपयोग होने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का कृषि से भिन्न अकृषि उपयोग मौके पर किया जा रहा है इसलिए प्रतिवादीगण की भूमि खसरा संख्या 440 तादादी 2.2131 हेक्टेयर में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी एवं उत्तरी–पश्चिमी कोने की तरफ एवं खसरा संख्या 441 तादादी 1.8970 हैक्टेअर संपूर्ण किश्म बारानी सोयम वाके रोही ग्राम ईंयारा के खातेदारी अधिकार निरस्त फरमाने की कृपा करें। आदि आदि अंकित कर वाद–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 की ओर से श्री आमीन शेख एडवोकेट उपस्थित आए जिन्होंने दिनांक 30.01.2025 को पैरवी की हिदायत नहीं होना जाहिर किया है। प्रतिवादी संख्या 12 को विधिवत सूचना भिजवाई जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में वर्णित तथ्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादगत भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 के नाम से खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार बीदासर के अनुसार रोही ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू के वादगत भूमि खसरा संख्या 440 तादादी 2.2131 हेक्टेयर में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी एवं उत्तरी–पश्चिमी कोने की तरफ एवं खसरा संख्या 441 तादादी 1.8970 हैक्टेअर संपूर्ण का खिलाफ कानून व विधि के विरूद्ध आवासीय प्लॉट काटकर व मकानात बनाकर आवासीय उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया है। लैण्ड हॉल्डर व खातेदार के बीच हुए अनुबंध का भी उल्लंघन किया है। कृषि भूमि का उपयोग अकृषि में किये जाने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी भूमि का लैण्ड हॉल्डर की सक्षम अनुमति के बिना अकृषि कार्य किया जाता है तो लैण्ड हॉल्डर व कृषक के बीच हुए अनुबंध का उल्लंघन माना जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

–:आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है कि भूमि वाके रोही ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू के प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 की खातेदारी के खसरा संख्या 440 तादादी 2.2131 हेक्टेयर में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी एवं उत्तरी–पश्चिमी कोने की तरफ का एवं खसरा संख्या 441 तादादी 1.8970 हैक्टेअर संपूर्ण में से प्रतिवादीगण को बेदखल कर सिवायचक घोषित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-3-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री अमीलाल यादव, आर.ए.एस

सरकार बनाम गोमदराम आदि

दावा बाबतः– अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

मु.नं.– 18/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजारी पेरोकार राज वास्ते मुद्दई व मुदापलाह पेश होकर दिया जाता है व इस प्रकार अन्तिम डिक्री की जाती है कि भूमि वाके रोही ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू के प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 की खातेदारी के खसरा संख्या 440 तादादी 2.2131 हेक्टेयर में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी एवं उत्तरी–पश्चिमी कोने की तरफ का एवं खसरा संख्या 441 तादादी 1.8970 हैक्टेअर संपूर्ण में से प्रतिवादीगण को बेदखल कर सिवायचक घोषित किया जाता है। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करे। चीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18-3-2025

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर (चूरू)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमि नर		
फीस कमि नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)